

**निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई०ए०एस० जिला कलक्टर, झालावाड**

मिसल न० 21/ अपील 14(4)/20

तारीख दायरा: 02.07.2020

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार असनावर  
बनाम

(अपीलान्त)

राजू आ० गोपीलाल जाति हरिजन गि० डूंगरगांव तहसील असनावर (रेस्पो०)

अपील कृषि प्रयोजनाथें भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के  
अन्तर्गत आवंटन निरस्तीकरण बाबत।

उपास्थित:- परोकार सरकार

-: निर्णय :-

दिनांक: 03.09.2020

यह प्रकरण तहसीलदार असनावर द्वारा राज० भू राजरष (कृषि प्रयोजनाथें भू-आवंटन नियम) 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण के अपील मेंमें निवेदन किया गया है कि ग्राम टोंकडी बल्देवपुरा की आराजी ख० न० 73 रकबा 0.0632 है० व ख० न० 75 रकबा 0.3794 है० भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को दिनांक 27.06.2000 को हुआ था जो नामान्तरकरण संख्या 106 से गैर खातेदारी दर्ज हुई। आवंटित आराजी पर आवंटी या उसके वारिसान द्वारा शर्तों के अनुसार काश्त नहीं की जा रही है न ही आवंटी का मौके पर कब्जा है। आवंटी या वारिसान द्वारा कारशकारी अधिनियम के उपबन्धों का उलघन किया है। आवंटन की शर्त 14(4) एवं 8 अ की पालना नहीं करने से आवंटन खारिज योग्य है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने से अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

तहसीलदार असनावर द्वारा अपने प्रा०पत्र की पुष्ठी में आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति, मौका रिपोर्ट दिनांक 08.11.2019, नामान्तरकरण संख्या 106 की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी सं० 2073-76 खसरा गिरदावरी सं० 2061-64, 2069-72, प्रस्तुत की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो० को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। रेस्पो० बाबत रिपोर्ट प्राप्त करने पर तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट की द्वारकी बाई पत्नी दीपचन्द जाति कुल्मी नामक कोई व्यक्ति गांव में निवास नहीं करता है निजवाई गई इत फारण दौराने सुनवाई रेस्पो० के उपास्थित नहीं होने पर उनका पक्ष नहीं सुना जा सका।

हमने बहस लभय पक्ष सुनी। परोकार सरकार द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि राजू आ० गोपीलाल को ग्राम टोंकडी बल्देवपुरा की आराजी ख० न० 73 रकबा 0.0632 है० व ख० न० 75 रकबा 0.3794 है० भूमि का आवंटन दिनांक 27.06.2000 को हुआ था जो नामान्तरकरण संख्या 106 से गैर खातेदारी दर्ज हुई। आवंटित आराजी पर आवंटी या उसके वारिसान द्वारा शर्तों के अनुसार काश्त नहीं की जा रही है न ही मौके पर कब्जा है। आवंटी या वारिसान द्वारा कारशकारी अधिनियम के उपबन्धों का उलघन किया है। आवंटन की शर्त 14(4) एवं 8 अ की पालना नहीं करने से आवंटन खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं बहस परोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली राजस्व रेकार्ड से स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन के पश्चात प्रथम तीन वर्ष में काश्त नहीं की गई और ना ही वर्तमान में काश्त की जा रही है जो कि अत्यन्त आवश्यक है। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन की शर्तों की पालना नहीं किये जाने से ही भूमि आज दिनांक तक गैर खातेदारी में ही दर्ज है। उपरोक्तानुसार तहसीलदार असनावर द्वारा प्रस्तुत अपील कृषि प्रयोजनाथें भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत आवंटन निरस्तीकरण स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार असनावर द्वारा प्रस्तुत अपील 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम टोंकडी बल्देवपुरा की आराजी ख० न० 73 रकबा 0.0632 है० व ख० न० 75 रकबा 0.3794 है० भूमि का आवंटन दिनांक 27.06.2000 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटी को किया गया था उक्त आवंटन खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार असनावर को निजवाई जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि अपने कब्जे में लेकर खाता सरकार दर्ज की जाये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लोटाई जाये। पत्रावली फंसल शुमार को जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2020 को मेरे द्वारा लफित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)

जिला कलक्टर,  
झालावाड